संख्या: 47/2016/ 3208/12-2-2016-बजट.4/2009

प्रेषक,

बी0 राम शास्त्री,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2016

विषय: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत रूपये 4500000 हजार (रूपये चार अरब पचास करोड मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या: 25/2016/1418/12-2-2016-बजट.4/2009 दिनांक 05 अगस्त, 2016 द्वारा रूपये 1125000 हजार (रूपये एक अरब बारह करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2. आपके पत्र संख्या: एस.1552/लेखा/2016-17 दिनांक 04 नवम्बर, 2016 तथा पत्र संख्या: एस. 1659/लेखा/2016-17 दिनांक 23 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त दूसरी किस्त के रूप में अवशेष धनराशि रूपये 3375000 हजार (रूपये तीन अरब सैंतीस करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

3. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5. उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों की सूची पता सहित कृषि विभाग की वेबसाइड पर डाली जायेगी।

6. उपर्युक्त धनराशि का निस्तारण मांग पर नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

7. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवयकता होने पर ही किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक में नहीं रखी जायेगी।

8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम (के0 50/रा0 50)-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0 राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

संख्या: /2016/ 3208(1)/12-2-2016 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनउ।
6. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/कृषि अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।